न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 33 / 2022

1 फूलचन्द पुत्र मालीराम उम्र 69 साल जाति चमार निवासी बीलवा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज.।
2 इन्द्राज पुत्र श्री मालीराम उम्र 59 साल जाति चमार निवासी बीलवा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज.।
3 माली स्त्री सोहनराम उम्र 74 साल जाति चमार निवासी बिलवा। मृतक
3 / 1 सन्तरा पुत्री माली देवी एवं सोहनलाल पत्नी रामस्वरूप उम्र 72 साल जात मेघवाल हाल निवासी लक्ष्मण ब्राह्मण की ढाणी तन बड़बर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज.।
3 / 2 बजरंग लाल उम्र 70 साल
3 / 3 रामस्वरूप उम्र 64 साल पुत्रान माली देवी सोहन लाल जाति मेघवाल निवासी बीलवा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज.।
3 / 4 महावीर उम्र 59 साल पुत्र माली देवी सोहनलाल जाति मेघवाल निवासी बीलवा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज.। मृतक
3 / 4 / 1 सवीता देवी स्त्री
3 / 4 / 2 मनोज कुमार पुत्र
3 / 4 / 3 संदीप कुमार पुत्र
3 / 4 / 4 असना पुत्री महावीर जाति मेघवाल निवासी बीलवा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज.।
4 भागीरथ पुत्र श्री धौंकलराम उम्र 64 साल जाति मेहतर निवासी बीलवा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज.।

अपीलांट्स

बनाम

1 रामजीलाल पुत्र जीतमल उम्र 65 साल जाति महाजन निवीस डोबी टीबडेवालों का मौहल्ला चिड़ावा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं। मृतक

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

1/1 रमेश पुत्र रामजीलाल जाति महाजन निवासी डोबी टिकरेवालों का मौहल्ला चिड़ावा जिला झुन्झुनूं।
2 फूलचन्द पुत्र जीतमल उम्र 69 साल जाति महाजन निवासी बीलमा हाल आबाद सिंघाना में स्थित बुहाना का पुराना बस स्टेण्ड सिंघाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज.।
3 प्रभुदयाल उम्र 64 साल
4 महेश उम्र 50 साल
5 बलबीर उम्र 45 साल पुत्रगण औंकार जाति महाजन निवीस बीलवा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज.।
6 परमेश्वरी पुत्री औंकार निवासी बिलवा तहसील खेतड़ी।
7 प्रेम पुत्री औंकार स्त्री बजरंग लाल जाति महाजन निवासी पंचलगी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं राज.।
8 बिमला पुत्री औंकारमल पत्नी सुरेश जाति महाजन उम्र 73 साल निवासी मकान नम्बर 301 थानास ब्लॉक नम्बर 1 तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ़ हरियाणा।
9 सरोज पुत्री औंकारमल पत्नी सुरेश कुमार जाति महाजन उम्र 51 साल निवासी पचेरीकलां तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज.।
10 कमला स्त्री औंकार जाति महाजन निवासी बीलवा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज.।
11 लक्ष्मीनारायण पुत्र नाथूराम जाति कुम्हार निवासी बिलवा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज.। मृतक
11/1 ग्यारसी पत्नी लक्ष्मीनारायण
11/2 विनोद पुत्र लक्ष्मीनारायण
11/3 सुरेश पुत्र लक्ष्मीनारायण
11/4 महावीर प्रसाद पुत्र लक्ष्मीनारायण
11/5 महिपाल पुत्र लक्ष्मीनारायण
11/6 बलबीर पुत्री लक्ष्मीनारायण
11/7 रणधीर पुत्र लक्ष्मीनारायण
11/8 बिजेश पुत्र लक्ष्मीनारायण
11/9 रामसिंह पुत्र लक्ष्मीनारायण
11/10 कमला पुत्री लक्ष्मीनारायण
11/11 बिमला पुत्री लक्ष्मीनारायण
11/12 सुशीला पुत्री लक्ष्मीनारायण

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

11/13 सन्जू पुत्री लक्ष्मीनारायण
जाति कुम्हार निवासी बीलवा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज.।
12 रामली पत्नी स्व. नाराना उम्र 64 साल जाति कुम्हार निवासी बिलवा (मृतक)
12/1 राधेश्याम पुत्र रामली व नाराना जाति कुम्हार उम्र 64 साल निवासी बीलवा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज.।
13 पूर्ण पुत्र मूलाराम जाति गुर्जर निवासी बीलवा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज.। मृतक
13/1 प्रिभली पत्नी पूर्ण
13/2 रोताश पुत्र पूर्ण
13/3 कैलाश पुत्र पूर्ण
13/4 घीसली पुत्री पूर्ण
जाति गुर्जर निवासी बीलवा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज.।

रेस्पोडेन्टस

प्रथम अपील अ.धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अपील खिलाफ निर्णय व डिक्री दिनांक 22.02.2022 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर खेतड़ी मुकदमा उनवानी फुलचन्द आदि बनाम रामजीलाल आदि वाद संख्या 227/2006 (पुराना) व 141/2018 (नया) दावा बबत घोषणार्थ व स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थिति :
1. श्री राजेश पुनियां, अधिवक्ता अपीलांट

–निर्णय–

दिनांकः– 9/9/25

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर खेतड़ी द्वारा मुकदमा नम्बर 227/2006 (पुराना) व 141/2018 (नया) में पारित निर्णय दिनांक 22.02.2022 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादीगण अपीलान्टस ने एक वाद घोषणात्मक व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर गत 236, 181, 180, 184, 333 जिसके हाल खसरा नम्बर 476, 475, 474, 482, 483, 463, 393 वाके ग्राम बीलवा तहसील खेतड़ी का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस अपीलान्ट सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने प्रतिवादीगण की तलबी से पूर्ण ही निर्णय पारित किया है। विचारण न्यायालय ने नियत दिनांक 27.04.2022 से पूर्व ही मिसल को पेशी में लेकर निर्णय पारित किया है। विचारण न्यायालय में प्रार्थना पत्र वकील प्रतिवादी को प्रार्थना पत्र वादी बताकर शीघ्र सुनवाई कर निर्णय पारित किया है। जो खारिज होने योग्य है। विचारण न्यायालय ने वादी की ओर से अधिवक्ता श्री श्रीकान्त शर्मा की उपस्थिति झूठी दर्ज कर निर्णय पारित किया है। विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय में यह लिखना कि 'उभयपक्षकारान को वाद पुनः अपने–अपने साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त अवसर दिये गये' लिखा है जबकि पत्रावली तलबी में ही चल रही थी तो साक्ष्य के अवसर का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता। इस कारण यह निर्णय व डिक्री खारिज होने योग्य है। पटवारी, गिरदावर व तहसीलदार के बिना ही मौका निरीक्षण करना तथा मौका निरीक्षण रिपोर्ट बनाये बिना ही निर्णय पारित करना कानूनी भूल की है। विचारण न्यायालय ने जमीन जैर बहस पर अपीलान्टस का कब्जा काश्त मानते हुए भी तनकी संख्या 1 को रेस्पोडेन्टस के पक्ष में निर्णित कर कानून भूल की है। विचारण न्यायालय ने तनकी संख्या 2 को अपीलान्टस के खिलाफ निर्णित कर कानूनी भूल की है जबकि अपीलान्टस के समस्त दस्तोवजात व बयानात से उनका कब्जा काश्त बखूबी साबित है। अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांकित 22.02.2022 खारिज की जावें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में वादीगण अपीलान्टस ने एक वाद घोषणात्मक व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर गत 236, 181, 180, 184, 333 जिसके हाल खसरा नम्बर 476, 475, 474, 482, 483, 463, 393 वाके ग्राम बीलवा तहसील खेतड़ी का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज कर दिया।

विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि पत्रावली दिनांक 10.02.2022 को पेश होने पर प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 सीपीसी स्वीकार किया गया है। तदुपरांत पत्रावली वास्ते मौका निरीक्षण दिनांक 16.02.2022 को नियत की गई है। आदेशिका के अनुसार दिनांक 16.02.2022 को पीठासीन अधिकारी द्वारा मौका निरीक्षण किये जाने का अंकन है। इसके उपरांत पत्रावली दिनांक 22.02.2022 को निर्णय हेतु नियत कर दिनांक 22.02.2022 को विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज किया गया है।

विचारण न्यायालय की आदेशिका के अनुसार प्रतिवादीगण की तलबी में चल रही थी। विचारण न्यायालय ने तलबी की प्रक्रिया पूर्ण किये बिना तनकीयात कायम किये बिना साक्ष्य प्राप्त किये बिना बहस सुने बिना रेवेन्यू कोर्ट मेन्यूअल के विधिक प्रावधानों के अनुसार विधिक प्रक्रिया की पालना किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि प्रतिवादीगण की तामीली प्रक्रिया पूर्ण कर जवाब दावा प्राप्त कर तनकी कायम कर साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 29.09.2025 को उपस्थिति देवें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनू)

निर्णय आज दिनांक 9/9/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर